**न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0:–104/2013**

**CIS No.-TS 440/2018**

काशी राउत.....वादी

बनाम

बनारसी राउत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| `DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **13.06.2025** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से दिनांक 15.05.2025 को दाखिल आवेदन अंदर आदेश 13 नियम 01 वो 02 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना।<br><br>**आदेश (ORDER)**<br><br>वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 15.05.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद, प्रतिवादी साक्ष्य हेतु चल रहा है। वादी की ओर से दिनांक 08.03.2017 को न्यायालय में कुछ कागजात दाखिल किया गया है, लेकिन भूलवश दाखिल कागजात अभिलेख पर दर्ज नहीं है। वादी की ओर से वाद सं0–40/78 पन्ना देवी बनाम बाबूलाल राउत में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपी, शपथ पत्र बनाम विशुन यादव वो रामशीष यादव की छाया प्रति एवं वाद सं0–06/2012 में ग्राम कचहरी, पुरैनिया के सरपंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2012 की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उपरोक्त दस्तावेज इस वाद के उचित निर्णय हेतु आवश्यक कागजात है। यदि वादी द्वारा दाखिल कागजातों को आदेश फलक में सुधार करते हुए अभिलेख पर रखने हेतु आदेश नहीं दिया जाता है, तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आदेश फलक में सुधार करते हुए वादी द्वारा दाखिल कागजातों को अभिलेख पर रखने की कृपा की जाय।<br><br>प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और खारिज योग्य बताया गया है।<br><br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का | |

**न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0:–104/2013**

**CIS No.-TS 440/2018**

काशी राउत.....वादी

बनाम

बनारसी राउत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 13.06.2025** | सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 15.05.2025 को मो0–1000 रूपये के हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है।<br>आगामी दिनांक 31.07.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>मुंसिफ<br>नरकटियागंज | |
| **पश्चात् 13.06.2025** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 के वारिसान की ओर से दिनांक 01.05.2025 को दाखिल आवेदन पर सुना।<br><br>**आदेश (ORDER)**<br><br>प्रतिवादी सं0–01 के वारिसान की ओर से अपने आवेदन दिनांक 01.05.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु चल रहा है। प्रतिवादी सं0–01 के वारिसानों की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया है कि इस वाद में प्रतिवादीगण को उपस्थित होने की जानकारी विलम्ब से हुई है। चूंकि प्रतिवादीगण दुसरे जगह के रहने वाले है तथा अनपढ़– गवार व्यक्ति है। लेहाजा प्रतिवादी सं0–01 के वारिसानों के एक पक्षीय आदेश को रिकॉल नहीं किया जाता है तो प्रतिवादी सं0–01 के वारिसानों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है | |

**न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0:–104/2013**

**CIS No.-TS 440/2018**

काशी राउत.....वादी

बनाम

बनारसी राउत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 13.06.2025** | कि प्रतिवादी सं0–01 के वारिसानों के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.01.2025 को रिकॉल करने की कृपा की जाय।<br><br>वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 के वारिसानों के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और आवेदन खारिज योग्य बताया गया है।<br><br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी सं0–01 के वारिसानों द्वारा दाखिल एक पक्षीय आदेश दिनांक 30.01.2025 को रिकॉल आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 के वारिसानों द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 01.05.2025 को मो0–1000 रूपया हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है।<br><br>आगामी दिनांक 31.07.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>मुंसिफ<br>नरकटियागंज | |